Speed Post

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003
दिनांकः 18/12/2019

File No. DS/6/2019/STGMP/ATOTH/RU-III

सेवा में,

1 जिला कलेक्टर,
जिला डिंडौरी,
(म.प्र.)

2 पुलिस अधीक्षक,
जिला डिंडौरी,
(म.प्र.)

विषयः दिनांक 14–11–2019 को माननीय अध्यक्ष श्री नन्द कुमार साय द्वारा जिला डिंडौरी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक का कार्यवृत ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर जिला डिंडौरी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिनांक **14–11–2019** को हुई बैठक का संदर्भ ग्रहण करें । उक्त बैठक का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है । आपसे अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही करते हुए कार्यवाही रिपोर्ट इस आयोग को **30 दिन** के भीतर उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

संलग्नः यथोपरि

भवदीय,
18/12/19
(डॉ. ललित लट्टा)
निदेशक

<u>प्रतिलिपिः</u>

1. श्रीमती दुर्गा उर्फ शांति,
   वार्ड नं. 15, पुरानी डिंडौरी,
   थाना एवं तहसील डिंडौरी,
   जिला डिंडौरी (म.प्र.)
2. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- DS/6/2019/STGMP/ATOTH/RU-III)

श्रीमती दुर्गा उर्फ शांति, वार्ड नं. 15, पुरानी डिंडौरी, थाना एवं तहसील डिंडौरी, जिला डिंडौरी, मध्यप्रदेश द्वारा आवेदिका के मामा श्री पंचम सिंह की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु होने और स्थानीय पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के विषय में की गई शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 14.11.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 14.11.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्रीमती दुर्गा उर्फ शांति, वार्ड नं. 15, पुरानी डिंडौरी, थाना एवं तहसील डिंडौरी, जिला डिंडौरी, मध्यप्रदेश द्वारा आवेदिका के मामा श्री पंचम सिंह की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु होने और स्थानीय पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के विषय में आयोग को अभ्यावेदन दिया था। मामले में आयोग द्वारा दिनांक 14.11.2019 को बैठक निर्धारित की गई। इस संबंध में दिनांक 15.10.2019 को जिला कलेक्टर, डिंडौरी और पुलिस अधीक्षक, डिंडौरी को बैठक का नोटिस भेजा गया था।
2. दिनांक 14.11.2019 को आहूत बैठक में श्री रमेश कुमार सिंह, एडीएम और श्री शिव कुमार सिंह, अति.पु.अधीक्षक उपस्थित हुए।
3. आयोग द्वारा अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया, उन्होंने बताया कि पंचम सिंह डिंडौरी स्थित अपने मकान में बीवी की मौत के बाद अकेले रहते थे, उनके बच्चे नहीं थे। पंचम सिंह की भांजी निर्मला का लड़का जितेंद्र उर्फ जित्तु उनके मकान में किराये पर एक दुकान लिया था। जित्तु उस दुकान में अवैध शराब का बिक्री करता था जिससे पंचम सिंह नाराज रहते थे। पंचम सिंह उस मकान को बेचने की बात कर रहे थे। निर्मला और उसके परिवार द्वारा उनका मकान अपने नाम कराने का दबाव बनाया जा रहा था। पंचम सिंह द्वारा कई बार जितेंद्र को दुकान खाली करने के लिए भी बोला गया था जिसके बाद जितेंद्र द्वारा गर्म पानी फेंक कर पंचम सिंह को जलाने का प्रयास भी किया गया था। दिनांक 05.11.2017 को जितेंद्र के द्वारा पंचम सिंह की हत्या कर दी गई और इसके बाद सुबह दुर्गा उर्फ शांति को फोन कर बताया गया कि पंचम सिंह कमरा नहीं खोल रहे हैं। दुर्गा के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के पूछताछ

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

करने पर निर्मला के द्वारा पंचम सिंह की जाति राजपूत बताई गई जबकि वे अनुसूचित जनजाति के हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उनके सिर में खून का थक्का जमा हुआ था। आसपास के लोगों से पता चला कि पंचम सिंह के साथ मारपीट की जाती थी। आसपास के लोगों के आने से पहले ही अंतिम संस्कार भी जल्दी से कर दिया गया। हमारे अनुसार संपत्ति हड़पने के लिए पंचम सिंह की हत्या की गई है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की गंभीरता से जांच नहीं की गई है। पुलिस निर्मला के परिवार से मिलीभगत कर मामले को खत्म करना चाहती है। उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है।

4. अति.पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूरे मामले की जांच की गई है जिसमें मृतक की हत्या का मामला साबित नहीं होता है। मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। रिपोर्ट में सामान्य मौत बताई गई है।
5. एडीएम ने बताया कि तहसीलदार के यहां प्रकरण लंबित है, इसकी जांच की जा रही है। 19.11.2019 को मामले की सुनवाई होनेवाली है। दस्तावेज में यह स्पष्ट है कि पंचम सिंह की जाति गोंड है जो राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग में आता है।
6. अभ्यावेदक ने बताया कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। अनावेदकों के भय से वे भागे-भागे फिर रहे हैं तथा पुलिस उनकी सुरक्षा नहीं कर रही है।
7. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसा की -
    - मृतक के मकान व दुकान पर वर्तमान में दूसरे पक्ष का कब्जा है, प्रशासन द्वारा मकान व दुकान से अवैध कब्जा हटाकर सर्वप्रथम उसे अपने नियंत्रण में लिया जाए तथा मृतक के वैध वारिस को कब्जा दिया जाए।
    - अभ्यावेदक को विपक्षी पक्ष द्वारा धमकी दी जा रही है, अतः अभ्यावेदक के परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए।

कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात की गई कार्रवाई से 1 माह के अंदर आयोग को अवगत कराया जाए।

11.12.019

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- DS/6/2019/STGMP/ATOTH/RU-III)

श्रीमती दुर्गा उर्फ शांति, वार्ड नं. 15, पुरानी डिंडौरी, थाना एवं तहसील डिंडौरी, जिला डिंडौरी, मध्यप्रदेश द्वारा आवेदिका के मामा श्री पंचम सिंह की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु होने और स्थानीय पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के विषय में प्राप्त शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 14.11.2019 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची :-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

(1.) डॉ. नंद कुमार साय,	माननीय अध्यक्ष महोदय
(2.) श्री के. तऊथांग,	संयुक्त सचिव
(3.) डॉ ललित लट्टा,	निदेशक
(4.) श्री आर. के. दुबे,	स. निदेशक
(5.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी,	परामर्शक

- **कार्यालय कलेक्टर, डिंडौरी (छत्तीसगढ़)**

(1.) श्री रमेश कुमार सिंह,	एडीएम

- **पुलिस अधीक्षक, डिंडौरी (छत्तीसगढ़)**

(1.) श्री शिव कुमार सिंह,	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

- **अभ्यावेदक**

(1.) श्रीमती दुर्गा उर्फ शांति